न्यायालय मुंसिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—73 सन् 2016

राम प्रवेश राय.....वादी

बनाम

सिंगेश्वर राय वो अन्य .....प्रतिवादीगण।

दिनांक— 19.07.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी हैं। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 28.09.2021 पर आदेश हेतु नियत है। वादी की ओर से दिनांक 03.12.2021 को धारा 5 परिसीमा अधिनियम एवं आदेश 22 नियम 9 के अंतर्गत भी आवेदन दाखिल किया गया है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 03 महेन्द्र राय की मृत्यु दिनांक 31.10.2019 को हो गई है तथा उनकी पत्नी उनके जीवन काल में ही मर चुकी है और प्रतिवादी सं0 03 का कोई बेटी नहीं है। अतः निवेदन है कि उक्त वाद के प्रतिवादी सं0 03 महेन्द्र राय का नाम कलमजद कर उनके स्थान पर उनके जायज वारिसानों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए। वादी की ओर से दिनांक 03.12.2021 को आदेश 22 नियम 9 तथा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत भी आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी सं0 03 वो 05 की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 29.10.2021 को दाखिल किया गया है जिसमें उनका कथन है कि वादी द्वारा दिनांक 28.09. 2021 को इस आशय का आवेदन दिया गया है कि प्रतिवादी सं0 03 महेन्द्र राय की मृत्यु दिनांक 31.10.2019 को हो गई है फलस्वरूप उनके जगह पर उनके जायज वारिस हरेन्द्र राय को

उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए। वादी का प्रतिस्थापना आवेदन कानूनन स्वीकार होने योग्य नहीं हैं। वादी ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रतिवादी सं0 03 की मृत्यु दिनांक 31.10.2019 को हो गई है जबकि वादी द्वारा लगभग दो वर्ष बाद प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल किया गया है जिसके कारण वादी का वाद एवेट कर गया है। साथ ही धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने हेतु भी आवेदन नहीं दिया है। अतः निवेदन है कि वादी का प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 28.09.2021 को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 03 महेन्द्र राय थे जिनकी मृत्यु दिनांक 31.10.2019 को हो गई है तथा उनकी पत्नी की मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो गई है तथा उनकी पुत्री नहीं है। वादी की ओर से यह आवेदन प्रतिवादी सं0 03 का नाम कलमजद करने एवं उनके वारिसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु लाया है। प्रतिस्थापित आवेदन समय सीमा के अंतर्गत दाखिल नहीं किया गया है एवं वाद का उपसमन हो गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन को 700/— रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए एवं उपसमन को अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्च की राशि प्रतिवादी को प्रदान कर प्रतिवादी सं0 03 महेन्द्र राय का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके जायज वारिसानों को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक 16.08.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुंसिफ

सोनपुर सारण।